वन अधिकार अधिनियम

सामूहिक अधिकार - वन अधिकार अधिनियम के तहत 13 तरह के कार्यों के लिए वन-भूमि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया तय की गयी है। इन कार्यों हेतु 1 हैक्टर भूमि (जिसमे कटान हेतु 75 वृक्ष से अधिक ना हों), वन-मंडल स्तर पर दी जा सकती है। यह 13 कार्य निम्न प्रकार से हैं:

संख्या	कार्य		
1	सड़क,	8	छोटी सिंचाई नहर,
2	स्कूल,	9	पीने के पानी का स्त्रोत व् सप्लाई-लाइन,
3	डिस्पेंसरी या अस्पताल,	10	जल व् वर्षा-जल के संचयन हेतु कार्य,
4	आंगनवाड़ी,	11	ऊर्जा के गैर-पारम्परिक साधन (सौर-ऊर्जा, पवन-चक्की आदि),
5	उचित मूल्य की दुकान,	12	कौशल-विकास व् व्यावसायिक-प्रशिक्षण संस्थान,
6	बिजली व् टेलीफोन की लाइन,	13	सामुदायिक केंद्र

प्रक्रिया

ग्राम सभा

गाँव, मोहाल स्तर पर बनी ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति सदस्य होते है। यह ग्राम-सभा आधे (1/2) बहुमत से ग्राम-क्षेत्र में उपरोक्त 13 कार्यों के लिए जरूरी वन-क्षेत्र के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव पारित करेगी। इस प्रस्ताव पर उपरोक्त प्रतिभागियों के हस्ताक्षर होंगे।

→

यूज़र एजेंसी

उपरोक्त कार्यों को करने के लिए प्रस्ताव पारित कर यह प्रस्ताव उपयोगकर्ता संस्था (User Agency) को दिया जाएगा। उपयोगकर्ता संस्था सरकार का कोई विभाग (बी.डी.ओ./पी.डब्ल्यू.डी/आई. पी.एच आदि) हो सकते हैं। उपयोगकर्ता एजेंसी फॉर्म-ए में कार्य सम्बन्धी जानकारी (नक्शा/सीमांकनआदि) भरकर व उसके साथ ग्राम-सभा प्रस्ताव संलग्न कर फारेस्ट रेंजर को देंगी।

↓

फॉरेस्ट रेंजर

फॉरेस्ट रेंजर कार्य के लिए दर्शाई वन-भूमि का निरीक्षण करेंगे। कार्य के लिए वन-भूमि की उपयुक्तता व मात्रा की जांच कर फॉर्म-बी भरेंगे व सिफारिश सहित रिपोर्ट डी.एफ.ओ को प्रस्तुत करेंगे।

←

डी.एफ.ओ

फॉरेस्ट रेंजर द्वारा दिए गए फॉर्म-बी व फॉर्म-ए का अध्ययन कर दर्शाये गए कार्य के लिए वन-भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति/ अस्वीकृति देंगे व वन-हस्तांतरण सम्बन्धी रिकॉर्ड रखेंगे।

हि. प्र. वन विभाग